प्रपत्र VI

# झारखण्ड सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
## (भू–अर्जन निदेशालय)
## या
## समाहर्त्ता या समुचित सरकार
## प्रारंभिक अधिसूचना
## (अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

पत्रांक–37/भू0अ0 दिनांक–13/2/20

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता, चतरा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– **दुआरी**, थाना नं0– **71**, थाना– **गिद्धौर**, अंचल– **गिद्धौर**, जिला–**चतरा** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **हजारीबाग (इन्द्रपुरी चौक) कटकमसांडी, चतरा (कुल्लु मोड़) पथ निर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है, भू अर्जन के कारण कुल **शून्य** परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रुप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– **दुआरी**, थाना नं0– **71**, थाना– **गिद्धौर**, अंचल– **गिद्धौर**, जिला–**चतरा** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.431** एकड़ यानि कमोवेश **0.1744** हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है:–

| क्र0 सं0 | खाता सं0 | सर्वे भूखंड सं0 | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं0) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | उ0 | द0 | पू0 | प0 |
| 01 | 95 | 840 | रैयती | | 0.345 | रामदेव यादव वो बालो गोप पिता स्व पारतो महतो, रामभजन यादव वो छोटु कुमार यादव पिता स्व सहादेव गोप, हीरा यादव वो दुलारचन्द यादव पिता स्व भैरो गोप | प्लॉट सं0 840 अंश | रास्ता | प्लॉट सं0 840 का अंश बादहूँ नदी | रास्ता |
| 02 | 116 | 845 | रैयती | | 0.026 | इरफान अंसारी वो मुमताज अंसारी वो मो0 तैयब पिता स्व बढ़न | रास्ता | प्लॉट सं0 845 अंश | प्लॉट सं0 843 | प्लॉट सं0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | मियां, उस्मान मियां वो मो0 इसलाम पिता स्व हमीद मियां, मो0 इरशाद वो शमसेर आलम पिता स्व इसराइल मियां | | | | 846 |
| 03 | 22 | 846 | रैयती | | 0.06 | विजय बहादुर गुप्ता पिता स्व जगदीश चन्द्र गुप्ता, कौशल्या देवी पति स्व राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता | रास्ता | प्लॉट सं0 846 शेष | प्लॉट सं0 845 | प्लॉट सं0 847 |
| | | | | कुल– | **0.431** | | | | | |

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, चतरा और उनके कर्मचारी कानूनगो/अमीन/संबंधित सहायक को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की अपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, चतरा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

10/02/2020 10/2/2020 10/02/20 10-2-2020 11/02/2020 13.02.2020

सहायक, प्रधान सहायक, अमीन, कानूनगो, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी चतरा। अपर समाहर्त्ता, चतरा। उपायुक्त, चतरा।